निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित सूचना

मैनुअल-14

23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून

किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों,

निदेशालय के अंतर्गत वित्तीय डेटा सेंटर स्थापित किया गया है, के द्वारा निम्नवत कार्य संचालित किए जा रहे हैं: -

1. राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्लान के अन्तर्गत विकसित एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) के द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से राज्य सरकार के सभी वित्तीय कार्यों को एकीकृत और स्वचालित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है। इस प्रणाली के उपयोग से उपयोगकर्ताओं को **"एण्ड टू एण्ड लेनदेन"** का अनुभव प्राप्त हो रहा है।
2. वित्तीय डेटा सेंटर मे स्थापित सर्वर तथा अन्य उपकरणों का रख-रखाव।
3. आई.एफ़.एम.एस. सॉफ्टवेयर के डेटाबेस की सुरक्षा एवं रख-रखाव
4. राज्य के कोषागारों को उपलब्ध करायी गयी कनेक्टविटी की निगरानी।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्लान के अन्तर्गत एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) का क्रियान्वयन, संचालन एवं रख-रखाव-

इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार के समस्त कार्यालयों के प्रयोगार्थ एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इसके अन्तर्गत शासन, विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष के मध्य एकरूपता स्थापित की गयी है। आई.एफ.एम.एस. सॉफ्टवेयर के प्रयोग द्वारा पारदर्शी तरीके से नियत समय में राज्य के समस्त भुगतान संभव हो पा रहे हैं तथा व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखांकन समेकित प्रक्रिया द्वारा त्वरित गति से संकलित हो रही है। IFMS सॉफ्टवेयर के अंतर्गत निम्नलिखित मॉड्यूल्स विकसित कर लिए गए हैं :-

1- पेरोल मॉड्यूल
2- पेंशन मॉड्यूल
3- बजट मॉड्यूल
4- एच.आर.एम.एस. मॉड्यूल
5- एकाउण्टिंग मॉड्यूल
6- बिल्स मॉड्यूल
7- टैक्सेशन मॉड्यूल
8- महालेखाकार मॉड्यूल
9- वर्क्स एकाउण्टिग मॉड्यूल

10- ईचालान मॉड्यूल

11- सोसाईटी एण्ड फर्म्स

12- एन.पी.एस. मॉड्यूल

13- एस.जी.एच.एस. मॉड्यूल

14- इंटीग्रेशन-पीएफएमएस, जी.एस.टी., ई-कुबेर आदि

15- मानव संसाधन अभिलेखों का डिजिटलीकरण।

16- वॉल्यूम-6

इस साफ्टवेयर के लागू होने से प्रदेश के कार्मिकों एवं प्रदेश-वासियों को निम्न लाभ प्राप्त हो रहे हैं:-

- आई.एफ.एम.एस. ने सभी आंतरिक और बाहरी हितधारकों अर्थात् राज्य सरकार के विभागों, आर.बी.आई., ए.जी. कार्यालय, बैंकों, पी.एफ.एम.एस., डी.बी.टी., जी.एस.टी.एन. आदि के लिए एक साझा इलेक्ट्रॉनिक मंच प्रदान किया है।
- विभाग अपने मुख्य नियंत्रक अधिकारी (सी.सी.ओ.)/वित्त नियंत्रक और आहरण एवं वितरण अधिकारियों (डी.डी.ओ.) के माध्यम से अपने वित्तीय लेन-देन जैसे बजट रिलीज और नियंत्रण, बिल तैयार करने और कोषागारों में जमा करने, प्रेषण, जमा, प्राप्तियों और भुगतानों के मिलान आदि कार्यों को एक ही प्लेटफॉर्म यथा आई.एफ.एम.एस. पर सिंगल साइन ऑन करते हुए कर रहे हैं।
- फरवरी, 2020 के बाद से प्रदेश के पेंशनर देश में कहीं से भी अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इससे राज्य के लगभग 1.4 लाख पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में हो रही व्यावहारिक कठिनाईयां दूर हो चुकी हैं।
- प्रदेश के पेंशनरों को भारत सरकार के डाक विभाग के **पोस्टइन्फो एप** का उपयोग कर डाकिये की मदद से अपने घर से ही जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा भी दी गई है।
- पेंशनरों के जीवित होने का सत्यापन करने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु आई.एफ.एम.एस. सॉफ्टवेयर का राज्य सरकार की अपणी सरकार पोर्टल के साथ इण्टिग्रेशन किया गया है, जिससे कि भविष्य में पेंशनरों को त्रुटिपूर्ण भुगतान से बचा जा सकेगा।
- प्रदेश के समस्त कोषागारों द्वारा **लेखे तथा पेंशन प्रपत्र e-Sign** के माध्यम से हस्ताक्षरित किए जा रहे हैं।
- ऑनलाइन प्रान जनरेशन मॉड्यूल (ओ.पी.जी.एम.) के क्रियान्वयन के साथ अब कर्मचारी ऑनलाईन माध्यम से अपना प्रान प्राप्त कर सकते हैं। इस सुविधा को लागू करने से पहले कर्मचारियों को अपना प्रान पाने के लिए कड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी तथा उन्हें महीनों इंतजार करना पड़ता था। देरी से न केवल कर्मचारियों में असंतोष पैदा हो रहा था, बल्कि

सीआरए को एनपीएस अंशदान के हस्तांतरण में भी देरी हो रही थी। ऑनलाइन प्रान जनरेशन मॉड्यूल (ओ.पी.जी.एम.) के कार्यान्वयन के साथ 24 घंटे के अंदर कोई भी कर्मचारी अपना प्रान संख्या प्राप्त कर सकता है।

- प्रदेश की **सभी प्राप्तियां आई.एफ.एम.एस. के ई-चालान पोर्टल का उपयोग कर ऑनलाइन जमा** की जा रही हैं। इससे **"कभी भी, कहीं भी"** के सिद्धान्त के अनुरूप **ई-चालान पोर्टल** के अंतर्गत राज्य सरकार की समस्त बिजनेस टू गवर्नमेंट ,(B2G) सिटीजन टू गवर्नमेंट ,(C2G) इम्प्लॉई टू गवर्नमेंट (E2G)प्राप्तियां ऑनलाइन हो गयी हैं।
- आई.एफ.एम.एस. प्रणाली के लागू होने से पेरोल, क्लेम, जी.आई.एस., बिल, रिसीट अकाउंट, पेमेंट अकाउंट, नई पेंशन स्कीम, पी.एल.ए., इन्कम टैक्स, ई-चालान, रजिस्ट्रेशन, चिट फंड सोसायटी, चालान पोस्टिंग तथा बजट मॉड्यूल्स को ऑनलाईन माध्यम से सकुशल संचालन एवं क्रियान्यवन किया जा रहा है।
- समस्त कार्मिकों का भी लेखा-जोखा एच.आर.एम.एस. (HRMS) मॉड्यूल् के अन्तर्गत संकलित किया जा रहा है, जिससे समस्त कार्मिक अपनी सेवा सम्बन्धी विवरण आनलाईन देख सकते हैं।
- एस.एन.ए. स्पर्श प्रणाली- भारत सरकार की केन्द्र पोषित योजनाओं (सी.एस.एस.) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के स्तर पर धन की उपलब्धता व कुशल नगदी प्रबंधन के उद्देश्य से राज्य आई0एफ0एम0एस0, पी0एफ0एम0एस0 तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अन्तर्गत एंक वैकल्पिक निधि प्रवाह तंत्र एसएनए-स्पर्श प्रारम्भ कर दिया गया है।
- प्रदेश में सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एवं नवीनीकरण की व्यवस्था आनलाईन लागू की गयी है। अतः अब सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एवं नवीनीकरण आसानी से डिजिटली माध्यम से किया जा सकता है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली प्रकोष्ठ

दिनांक 01.10.2005 तथा उसके बाद नियुक्त कार्मिकों हेतु शासनादेश संख्याः 19/XXVII(6)/2005, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 द्वारा ''राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली'' (NPS) अनिवार्य रूप से लागू की गयी है। उक्त योजना को सफलतापूर्वक संचालित किए जाने हेतु राज्य कोषागार के अन्तर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। राज्य में एन.पी.एस. के तहत लगभग 98,168 कार्मिक पंजीकृत हैं ।

नयी पेंशन योजना के अन्तर्गत कार्मिकों/सरकार के अंशदान को जुलाई, 2018 से ई-कुबेर के माध्यम से NSDL को ऑनलाइन स्थानान्तरित किया जा रहा है। साथ ही नयी पेंशन योजना के संचालन में आ रही कठिनाईयों को दूर करने के लिए निम्न व्यवस्था और लागू की गयी हैः-

- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से आच्छादित कार्मिकों को प्रान (Permanent Retirement Account Number) आबंटन किये जाने की प्रक्रिया में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों का प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी रूप से समाधान किये जाने हेतु प्रान आबंटन की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए ऑनलाइन प्रान जनरेशन माड्यूल (OPGM) राज्य में लागू किया गया है।
- आनलाईन प्रान जनरेशन माड्यूल (OPGM) के तहत विभागीय आहरण वितरण अधिकारी कार्मिक की नियुक्ति के समय ही कर्मचारी कोड प्राप्त होने के 24 घंटे के अन्दर ही कार्मिक को प्रान आबंटन किया जा सकेगा। सभी नवनियुक्त राजकीय कार्मिक उपरोक्त व्यवस्था द्वारा प्रान आबंटन हेतु अपने विभागीय आहरण वितरण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। विभागीय आहरण वितरण अधिकारी IFMS पोर्टल में अपने DDO Code से Login कर उक्त कार्यवाही संपादित कर रहे हैं।
- केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 1-4-2025 से लागू की गयी एकीकृत पेंशन प्रणाली को उत्तराखंड राज्य में यथावत लागू किया गया है। इससे संबन्धित कार्य प्रकोष्ठ द्वारा संपादित किया जा रहा है।